बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर में

बी0 एड0 (सत्र 2017-19) में नामांकन हेतु विज्ञप्ति

1. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा स्वीकृत 100 सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों के विरूद्ध नामांकन हेतु आवेदन बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSTET) उत्तीर्ण तथा 50 प्रतिशत सीटों के विरुद्ध नमांकन हेतु आवेदन कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों /नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षक से आमंत्रित किया जाता है।
2. नामांकन हेतु सामान्य अभ्यिर्थियों की न्यूनतम योग्यता स्नातक या स्नातकोत्तर में 50 प्रतिशत अंकों की होगी जिसमें आरक्षित कोटि/ निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत की छुट होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारण हेतु अंकों की गणना अतिरिक्त/ऐच्छिक विषयों के अंकों के बिना की जायेगी।
3. नामांकन में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।
4. चयन का आधारः– उपरोक्त कंडिका 1 में वर्णित दोनों श्रेणियों के सीटों के विरुद्ध चयन का आधार अपनी श्रेणी के बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSTET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में आवेदित विषय में प्राप्त अंक का प्रतिशत होगा। नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में आवेदित विषय में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जायेगा। मेधा सूची का निर्माण दोनों श्रेणियों में कोटिवार किया जायेगा। समान श्रेणी के नमांकन में बिहार माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (BSTET) या कक्षा 06–08 के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) उत्तीर्ण शिक्षक के रुप में नियुक्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी । समान श्रेणी में अंकों का प्रतिशत समान रहने की स्थिति में अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
5. दोनों श्रेणी के लिए निर्धारित सीटों में से किसी भी श्रेणी में सीट रिक्त रहने की स्थिति में रिक्त रह गये सीटों के विरूद्ध दूसरी श्रेणी के अभ्यर्थियों का नामांकन किया जा सकेगा।
6. नामांकन हेतु उम्र सीमा– 01/01/2017 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी।
7. आवेदन का प्रारूप महाविद्यालय, के वेबसाईट www.gttcbgp.org से प्राप्त किया जा सकता है।
8. नामांकन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से **प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, धंटाधर, भागलपुर–812001** के नाम से प्रेषित करेंगें। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 11.05.2017 के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएगें। साधारण डाक/ कुरियर /हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
9. नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नामांकन के समय बैंक ड्राफ्ट द्वारा प्रति अभ्यर्थी प्रति वर्ष 12,500/– (बारह हजार पाँच सौ) रूपये मात्र शुल्क देना होगा एवं अनुसूचित जाति/जन जाति/निःशक्त के लिए यह राशि मात्र 4,900/– (चार हजार नौ सौ) रूपये होगी। कौशन मनी की राशि दोनों वर्ष के लिए एक साथ प्रवेश के समय ली जा रही है, जो परीक्षाफल प्रकाशित होने के उपरांत अभ्यर्थी को चेक के माध्यम से वापस कर दी जायेगी वशर्ते प्रशिक्षु के पास महाविद्यालय का कोई बकाया लंबित न हो।
10. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख संलग्न करना होगा। आवेदन पत्र अधुरा रहने पर अथवा वांछित अभिलेख संलग्न नहीं रहने पर उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(क). आवेदन शुल्क के रूप में प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय, भागलपुर अथवा Principal, College of Teacher Education, Bhagalpur (C.T.E., Bhagalpur) के पद्नाम से देय तथा भागलपुर में भुगतेय 300.00 (तीन सौ) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो वापस नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क के रूप में मनी ऑर्डर /भारतीय पोस्टल ऑर्डर /चेक/ अन्य किसी भी प्रकार से स्थानान्तरित राशि स्वीकार नही होगी।

(ख) पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र के साथ मैट्रिक, इण्टर, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं STET के अंक पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति तथा नियोजित होने की स्थिति में उक्त प्रमाण पत्र की छायाप्रति के साथ नियोजित होने का प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत) की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) जन्मतिथि प्रमाणपत्र के लिए मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा।

(घ) आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी सक्षम पदाधिकारी से प्राप्त अद्यतन जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करेंगे।

(ड.) आवेदन पत्र के साथ एक बड़ा लिफाफा जिस पर अभ्यर्थी के पत्राचार का पूर्ण पता लिखा हुआ हो एवं निबंधित डाक हेतु जरूरी डाक टिकट लगा हो, संलग्न करना आवश्यक है।

(च) आवेदन पत्र के क्रमांक 1 एवं 2 में आवेदित विषय एवं आरक्षण कोटि लाल स्याही से भरे जायेंगे।

11. सरकार के आदेशनुसार सत्र 2017-19 से नियोजित अप्रशिक्षित शिक्षकों को सवैतनिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।

12. संयुक्त सचिव,शिक्षा विभाग, बिहार,पटना के संकल्प संख्या 232 दिनांक 15.06.2016 के आलोक में शिक्षक प्रशिक्षु को प्रशिक्षण अवधि(दो वर्षों) में सवैतनिक अवकाश इस शर्त्त के साथ देय होगा कि वे प्रशिक्षण के उपरान्त कम से कम पॉच वर्षों तक शिक्षण कार्य करेंगें। विनिश्चित अवधि के पूर्व सेवा छोड़ने की स्थिति में प्रशिक्षण अवधि में प्राप्त वेतनादि सरकार के खजाने में जमा करनी होगी। संबंधित शिक्षक को इस आशय का बॉड देना होगा। वसूलनीय राशि लोक मॉग के रुप में वसूलनीय होगी।

13. नामांकन के उपरान्त सक्षम प्राधिकार (नियोजन पदाधिकारी) स्तर से दो वर्षो के लिए सवैतनिक अवकाश की स्वीकृत्यादेश प्राप्त कर नामांकन हेतु विरमित किये गये अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को विरमन प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा। सम्बंधित अप्रशिक्षित नियोजित शिक्षकों को विहित प्रपत्र में बंध–पत्र जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के पास जमा करना होगा। वेतन भुगतान की कार्रवाई सम्बंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) के स्तर से की जायेगी।

14. **किसी एक अभ्यार्थी का नामांकन किसी एक कोर्स हेतु ही मान्य होगा। एक बार किसी कोर्स में नामांकन करा लिये जाने के उपरान्त किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य कोर्स में तथा अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्थानान्तरण नहीं किया जायेगा।**

<u>नामांकन–कैलेण्डर :–</u>

• आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि –	11.05.2017 (गुरूवार) तक
• वृहत मेधा सूची का निर्माण एवं नामांकन समिति की बैठक का आयोजन –	16.05.2017 (मंगलवार) तक
• वृहत मेधा सूची का प्रकाशन –	18.05.2017 (गुरूवार) तक
• मेधा सूचि पर अभ्यर्थियों द्वारा आपत्ति प्राप्त करना –	30.05.2017 (मंगलवार) तक
• अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन –	06.06.2017 (मंगलवार) तक
• नामांकन हेतु सूचना का प्रेषण – (दूरभाष/ईमेल/बेबसाईट द्वारा)	08.06.2017 (गुरूवार) तक
• नामांकन प्रक्रिया –	13-24 जून 2017 तक
• नामांकन प्रक्रिया बन्द–	27.06.2017
• कक्षा संचालन की तैयारी –	28.06.2017 से 30.06.2017
• शिक्षण कार्य प्रारंभ –	01.07.2017 (शनिवार) से

प्राचार्य,
अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
भागलपुर।